FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process of Corporate Persons) Regulations 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF ARCEE ISPAT UDYOG LIMITED

-	RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of Corporate Debtor	Arcee Ispat Udyog Limited	
2.	Date of Incorporation of Corporate debtor	17th December,1987	
3.	Authority Under which corporate debtor is incorporated /Registered	Registrar of Companies, Delhi. Under the Companies Act 1956	
4.	Corporate Identity Number /Limited Liability Identity of corporate debtor	CIN :U27106HR1987PLC030006	
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	REGD. OFFICE: 7th K.M. Stone, Barwala Road, Talwandi Rana, Hissar-125001 (Haryana) COMMUNICATION ADDRESS: 7th K.M. Stone, Barwala Road, Talwandi Rana, Hissar-125001 (Haryana) Works: 7th K.M. Stone, Barwala Road, Talwandi Rana, Hissar-125001 (Haryana)	
6.	Insolvency Commencement date in respect of corporate debtor	30th August 2017	
7.	Estimated Date of closure of insolvency resolution process	26th February, 2018 (180th day from the date of commencement of Insolvency resolution process)	
8.	Name, address, email address, and the registration number of the interim resolution professional	Mr. Jalesh Kumar Grover Interim Resolution Professional Regd.Office :SCO 131, 2nd Floor, Sector 5, MDC, Panchkula-134119 Email: arceeispat@ducturus.com Regd. No -IBBI/IPA-001/IP-P00200/2017- 18/10390	
9.	Date of appointment of Interim Resolution Professional	7th September 2017	
10.	Last Date of Submission of Claims	21st September 2017	

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal Chandigarh Bench has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process against Arcee Ispat Udyog Limited on 30th August 2017.

The creditors of Arcee Ispat Udyog Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 21st September 2017 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against item 8. The Financial creditors shall submit their proof of claims by electronics means only. The operational creditors including workmen and employees may submit the proof of claims by in person, by post or electronics means. The submission of proof of claims should be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The proof of claims is to be submitted by way of the following specified forms along with an affidavit (witnessed before a notary or oath commissioner) and documentary proof in support of their claims:

Form B – for claims by Operational Creditors (except Workmen and employees)

Form C – for Claims by Financial Creditors

Form D - for Claims by a workman and employee

Form E – for Claims by Authorised Representative of Workmen and Employees

In order to get the copy of form you may download the above mentioned forms from the website www.ibbi.gov.in as prescribed under Insolvency and bankruptcy Board of India (Insolvency resolution process for corporate persons) Regulation, 2016. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Place: Panchkula

(Jalesh Kumar Grover)
Name and signature of Interim Resolution Professional

Date: 09.09.2017

प्रपत्र ए सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवालियापन एवं दिवाला बोर्ड (संस्थागत व्यक्तियों हेतु दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) अधिनियम 2016 के अधिनियम 6 अधीन

आरसी इस्पात उद्योग लिमिटेड के कर्जदारों हेत् ध्यानार्थ।

	संब	र्द्ध विवरण
1.	संस्थागत देनदार का नाम	आरसी इस्पात उद्योग लिमिटेड
2.	संस्थागत देनदार बके निगमीकरण की तिथि	17 दिसम्बर 1987
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन संस्थागत देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी र्राजस्ट्रार दिल्ली, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन
4.	संस्थागत पहचान संख्या/संस्थागत देनदार समिति दायित्व पहचान सं	सीआईएनः U27106HR1987PLC030006
5.	संस्थागत देनदार का पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 7वां कि.मी. स्टोन, बरवाला रोड, तलवंडी राणा, हिसार-125001 (हरियाणा) संचार कार्यालयः 7वां कि.मी. स्टोन, बरवाला रोड, तलवंडी राणा, हिसार-125001 (हरियाणा) कार्यः 7वां कि.मी. स्टोन, बरवाला रोड, तलवंडी राणा, हिसार-125001 (हरियाणा)
6.	संस्थागत देनदार के संबंध में दिवालियापन की आरंभ तिथि	30 अगस्त 2017
7.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	26 फरवरी 2018 (दिवालियापन संकल्प की शुरुआत प्रक्रिया का 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान व्यवसायिक का नाम पता, ई मेल पता और पंजीकरण सं.	श्री जलेश कुमार ग्रोवर अंतरिम समाधान व्यवसायिक, पंजीकृत कार्यालयः एससीओ 131, दूसरा तल, सेक्टर 5, एमडीसी पंचकुला-134119 ई-मेल: arceelspat@ducturus.com पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00200/2017-18/1039
9.	अंतरिम समाधान व्यवसायिक की नियुक्ति की तिथि	7 सितम्बर 2017
10.	दावे जमा करवाने का अंतिम दिन	21 सितम्बर 2017

एतंद द्वारा सूचना दो जाती है कि नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बैंच ने 30-08-2017 को आरसी इस्पात उद्योग लिमिटेड के विरुद्ध संस्थागत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के आरम्भ का आदेश दिया है। आरसी इस्पात उद्योग लिमिटेड के देनदारों का एतद द्वारा मद 8 के विरुद्ध उपरोक्त दर्शाए पते पर अंतरिम समाधान व्यवसायिकी हेतु 21-09-2017 को अथवां उससे पहले अपने दावें के प्रमाण को जमा करने के लिए मांग किया गया जाता है।

वितीय देनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक हेतु माध्यम द्वारा दावे के अपने प्रमाण जमा करवाएंगे। क्रियाशील देनदार सहित कर्मी तथा कर्मचारी व्यक्तिगत, डाक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावों के प्रमाण जमा करवा सकते हैं।

दावों के सबूत प्रस्तुत करने के लिए भारत के दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया होने की निवारण प्रक्रिया) नियम 2016 के अध्याय 4 के अनुसार बनाया जाना चाहिए। दावे का सबूत एक निर्दिष्ट हलफपत्र (नोटरी या शपथ आयुक्त से पहले साक्षी) के साथ और उनके दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट रूपों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है:

प्रपत्र बी - परिचालनात्मक लेनदारों द्वारा दावों के लिए (कार्यकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर)

फॉर्म सी - वित्तीय लेनदारों द्वारा दावा के लिए

फॉर्म डी - किसी कार्यकर्ता और कर्मचारी द्वारा दावों के लिए

फॉर्म ई - कर्मचारियों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावा के लिए

फॉर्म की प्रति प्राप्त करने के लिए आप वेबसाइट www.ibbi.gov.in से उपयुक्त फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड (कॉपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया होने की निवारण प्रक्रिया) नियमन, 2016 के तहत निर्धारित है।

दावों के भ्रामक अथवा गलत प्रमाण को जमा करना दंडनीय है।

तिथि: 09-09-2017

(जलेश कुमारग्रोवर) अंतरिम समाधान व्यवसायिक

